न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी   राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का पीपलाद

बनाम

अप्रार्थी :- श्री अशोक सिंह पुत्र रामसिंह जाति दरोगा निवासी मेंहगाव

अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 26 / 18

निर्णय दिनांक 24 / 01 / 2019

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पीपलाद ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2075 में सरहद मेंहगाव के खसरा नम्बर 357 किस्म गै.मु.मगंरा में रकबा 0.40 है. भूमि में बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी को स्वंय से नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी के वकुलाय दिनांक 22.10.2018 उपस्थित रहे। वकुलाय द्वारा जवाब हेतु समय चाहा गया जो न्यायहित में समय दिया गया। किन्तु वकुलाय समय तारिख पेशी पर अनुपस्थित रहे। तारिख पेशी के बाद अतिकमित भूमि के सम्बंध में लिखित जवाब पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। अतः पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का मौजा मेंहगाव के खसरा नम्बर 357 किस्म गै.मु.मगंरा में रकबा 0.40 है भूमि पर अतिकमण किया है प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी का मुतनाजा भूमि पर अतिकमण पाया गया है अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिकमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 5.रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से अतिकमित रकबा 0.40है. भूमि के 2.रूपये लगान का 50 गुणा 100/- अक्षरे सौ रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार परबतसर

2018-19

पंजिका 'ग' वर्ष ....के पृष्ठ सं.....10.....

पर ... ...100/-.......रु० की

मांग दर्ज ... ई।

तहसील राजस्व लेखाकार